सं. 33/12/73-स्था.(क)

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर, 1973

कार्यालय ज्ञापन

विषय : श्रेणी II, III एवं IV सेवाओं/पदों पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख - तृतीय केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश।

तृतीय केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 60 के पैरा 15 में निम्नलिखित सिफारिश की है:-

"हम यह सिफारिश करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उनकी अधिवर्षिता प्राप्त करने की वास्तविक तारीख के अपराहृन के बजाय उस महीने की अंतिम तारीख के अपराहृन से प्रभावी होनी चाहिए जिसमें संबंधित कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त करता है। इससे वेतन, भत्तों, औसत परिलब्धियों, अर्हक सेवा इत्यादि की गणना करने में लेखांकन कार्य सरल हो जाएगा, जिससे पेंशन संबंधी दावों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी"

इस सिफारिश को केंद्र सरकार के श्रेणी II, III एवं IV सेवाओं/पदों के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के संकल्प सं. 70(34)/73-आईएमपी.प्रकोष्ठ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I - खण्ड-1 में दिनांक 01 नवम्बर, 1973 को प्रकाशित किया गया है।

2. तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के लिए भारतीय लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01 नवम्बर, 1973 से श्रेणी II, III एवं IV सेवाओं/पदों के सिविलियन सरकारी सेवक मूल नियम 56 के खण्ड (ञ), (ट), (ठ) और (ड) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके खण्ड (क) या (ख) या (ग) या (ड.) जैसा मामला हो, के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि वाले माह की अंतिम तारीख के अपराहृन से सेवानिवृत्त होंगे।

3. राष्ट्रपति ने यह निर्णय भी लिया है कि श्रेणी II, III एवं IV सेवाओं/पदों के निम्नलिखित श्रेणियों के सरकारी सेवकों के मामले में सेवानिवृत्ति की तारीख या सेवानिवृत्ति से पूर्व की छुट्टी की समाप्ति की तारीख के बीच की अवधि, जैसा भी मामला हो, और उपरोक्त पैरा 2 में लिए गए निर्णय के अनुसार

निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीख को सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी माना जाएगा और संबंधित सरकारी सेवक को उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार निर्धारित तारीख से सेवानिवृत्त हुआ माना जाएगा।

i. ऐसे सरकारी सेवक जो दिनांक 01 नवम्बर, 1973 को या इससे पूर्व अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पहले ही, लेकिन इन आदेशों के प्राप्त होने से पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हों।
ii. ऐसे सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर चले गए थे और सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश की समाप्ति पर दिनांक 01 नवम्बर, 1973 को या इसके पश्चात लेकिन इन आदेशों के प्राप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हों।
iii. ऐसे सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर चले गए थे लेकिन इन आदेशों के प्राप्त होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

4. संगत नियमों पर औपचारिक संशोधन उचित समय पर जारी किए जाएंगे।

ह0/-

(पी. एस. वेंकेटश्वरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालयों/विभाग इत्यादि *अतिरिक्त प्रतियों सहित

सं. 33/12/73-स्था.(क) नई दिल्ली 24 नवम्बर, 1973 सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति अग्रेषित:

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली, 200 प्रतियां सहित।
2. संघ लोक सेवा आयोग, 25 प्रतियां सहित।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, 25 प्रतियां सहित।
4. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय
5. सभी केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र।
6. कार्मिक, लोक शिकायत और प्रशासनिक सुधार, गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंद्ध कार्यालय।
7. कार्मिक, लोक शिकायत और प्रशासनिक सुधार, गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
8. रक्षा मंत्रालय (डी/एलएबी.) (श्री एस.आर. गुरूस्वामी)
9. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (श्री एस.के. रामानाथन)
10. उप प्रधानसूचना अधिकारी (श्री एस.ए.जे. जैदी) द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए प्रेस/ऑल इण्डिया रेडियो को अग्रेषित।
11. सचिव, स्टाफ साइड, नेशनल कॉउंसिल (जेसीएम), 9 आशा रोड, नई दिल्ली।